

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग।

प्रेषक,

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग,
बिहार सरकार, पटना।

सेवा में,

सभी नगर आयुक्त, नगर निगम,
सभी कार्यपालक पदाधिकारी,
नगर परिषद एवं नगर पंचायत।

पटना दिनांक-

विषय :- दिनांक-14.12.2018 से प्लास्टिक कैंरी बैग पर प्रतिबंध के प्रचार-प्रसार के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार के सभी नगर निकाय क्षेत्रों में प्लास्टिक कैंरी बैग पर दिनांक-14.12.2018 से प्रतिबंध लगाया जाना है। इस संबंध में व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता महसूस की गई है। तदालोक में इस पत्र के साथ प्रचार-प्रसार की सामग्री का प्रारूप यथा बैनर के 20 मॉडल, माईकिंग का विषय एवं अन्य वांछित कार्यों की विवरणी तथा दिशानिर्देश संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि अपने नगर निकायों में प्लास्टिक कैंरी बैग के पूर्ण प्रतिबंध के संबंध में आम जनों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित किया जाय। इस संबंध में किसी भी जानकारी हेतु SBM-PMU के टीम लीडर श्री अनिल गुप्ता, मो. नं.-9835494997 एवं श्री शांतनु दास, मो. नं. -8240571130 IEC Expert, SBM-PMU से संपर्क किया जा सकता है।

अनुलग्नक -

दिशानिर्देश एवं प्रचार-प्रसार की सामग्री

विश्वासभाजन,

ह०/-

प्रधान सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-03/SBM-01-22-A/2018

2839

पटना, दिनांक-03/12/18

प्रतिलिपि:- प्रधान सचिव के आप्त सचिव/नोडल पदाधिकारी SBM/Team Leader State PMU
SBM/Team Leader, NULM को सूचनार्थ एवं आवश्यक कारवाई हेतु प्रेषित।

CR
3/12/2018

प्रधान सचिव।